समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-38/स0अनु0 /आ0प्र0, दिनांक 01-06-15 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-113- घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उपशीर्ष-0003- अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति /पुनर्निर्माण विपत्र कोड एन0 - 2245021130003 मद में कुल मो0 - 423.902 लाख (चार करोड़ तेईस लाख नब्बे हजार दो सौ) रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को संबंधित अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नाकिंत शर्त्तो के अधीन निम्नवत् उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	अंचलाधिकारी, मधेपुरा	2,00,000	39,41,000	41,41,000
2	अंचलाधिकारी, घैलाढ़	1,00,000	2,87,600	3,87,600
3	अंचलाधिकारी, मुरलीगंज	11,00,000	3,34,59,700	3,45,59,700
4	अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज	1,00,000	0	1,00,000
5	अंचलाधिकारी, ग्वालपाड़ा	1,00,000	3,96,100	4,96,100
6	अंचलाधिकारी, बिहारीगंज	8,00,000	39,26,200	47,26,200
7	अंचलाधिकारी, चौसा	1,00,000	1,24,700	2,24,700
8	अंचलाधिकारी, पुरैनी	0	2,54,900	2,54,900
	कुल योग -	**25,00,000**	**4,23,90,200**	4,48,90,200

(मो0 4,48,90,200/- (चार करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार दो सौ रू0 मात्र)

उपावंटन की शर्तें :-

(1) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-113- घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उपशीर्ष-0003- अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति /पुनर्निर्माण विपत्र कोड एन0 - 2245021130003 मांग संख्या -39 युनिट कोड 31 05 सहायक अनुदान -परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण मद में पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या-46 /आ0प्र0, दिनांक-28-04-2015 तथा वित्त विभाग के ज्ञापांक-ब-17 /आपदा /बी0सी0/एफ0-67 /2015/3 सी0-एफ0, दिनांक- 30-04-2015 एवं एतद् संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1594/आ0प्र0, दिनांक-01-05-2015 द्वारा उपबंधित राशि एवं राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

(2) यह आवंटन चक्रवातीय तूफान के मद्देनजर अंचलाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-700-2, दिनांक- 16-06-2015, अंचलाधिकारी, मुरलीगंज के पत्रांक-48-2/मु0, दिनांक- 05-06-2015 द्वारा प्रेषित अधियाचना एवं अंचलाधिकारी, घैलाढ़, चौसा, पुरैनी, उदाकिशुनगंज, ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज द्वारा गृह क्षति अनुदान के रूप में वितरित राशि का अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व आवंटित राशि को घटाकर निर्गत किया जा रहा है।

(3) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें।

(4) उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(5) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष - लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रुप से की जाए। विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए अन्यथा आंकड़ें के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(6) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि0 (2) दिनांक 17-04-1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किए गए विपत्र /विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000-आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-..........., उपमुख्य शीर्ष......................., लघु शीर्ष..........................., उप शीर्ष...................." अंकित कराया जाए।

(7) व्यय के तुरंत बाद टी0भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रुप से उपलब्ध करा दी जाए। सभी पदाधिकारी अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(8) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15-03-2016 तक निश्चित रुप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 389 /आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 18-6-2015

प्रतिलिपि : सभी संबंधित अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

16/6/2015

जिलाधिकारी
मधेपुरा।